प्रेस नोट   दिनांक 05.07.2026

थाना मधुबन पुलिस द्वारा महिला से चेन स्नेचिंग करने वाले 02 नफर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन, 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त अपाची बाईक बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.07.2026 की शाम एक मोटर साइकिल पर बैठे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूटी से जाते समय पीछे से महिला के गले से सोने की चेन छीन ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 231/2026 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.नीतीश यादव उर्फ मोनू पुत्र मुसाफिर यादव निवासी बड़कीबारी सोनबरसा बैलौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष 2.विशाल सोनकर पुत्र विनोद सोनकर निवासी महुआबारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा
मुखबिर की सूचना पर भैरोपुर बन्धा पर बने मन्दिर से राजू चौक जाने वाले रास्ते पर बने पुलिया के पास से गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ किए गये फायरिंग में नीतीश यादव उर्फ मोनू के दाहिने पैर में गोली लगी है पुलिस हिरासत में लिया गया व अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से महिला से लूटी सोने की चेन , घटना में प्रयुक्त अपाची बाईक UP54BC9364 , 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया व माल बरामदगी के आधार पर **मु0अ0सं0 234/26 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ पंजीकृत किया गया।**
घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु अस्पताल भेजा गया व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.नीतीश यादव उर्फ मोनू पुत्र मुसाफिर यादव निवासी बड़कीबारी सोनबरसा बैलौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष

2.विशाल सोनकर पुत्र विनोद सोनकर निवासी महुआबारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 251/26 धारा 303(2)बी.एन.एस थाना गोला जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 231/2026 धारा 309(4),317(2),3(5) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 234/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. महिला से लूटी सोने की चेन ,
2. घटना में प्रयुक्त अपाची बाईक UP54BC9364 ,
3. अदद जिन्दा कारतूस 02 बोर व 315 अदद खोखा कारतूस 02 बोर मय 315 अदद देशी तमंचा 02 बोर बरामद 315

थाना मधुबन पुलिस द्वारा महिला से चेन स्नेचिंग करने वाला वांछित 01 नफर अभियुक्त क गिरफ्तार कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315बोर व एक अदद मिस जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक अदद चोरी की मोटर साईकिल नम्बर UP53EL5496 बरामद।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.07.2026 की शाम एक मोटर साइकिल पर बैठे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूटी से जाते समय पीछे से महिला के गले से सोने की चेन छीन ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 231/2026 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र रामा यादव सा 0सोनबरसा बेलौली बडकी बारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

मुखबीर की सूचना पर दरौधा माधवपुर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315बोर व एक अदद मिस जिन्दा कारतूस व चेन स्नेचिंग की घटना में प्रयुक्त एक अदद चोरी की मोटर साईकिल नम्बर UP53EL5496 बरामद की गयी

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.07.2026 को चेन छिनैती की घटना में प्रातःकाल समय 03.10-03.20 के बीच मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तगण1. नितीश यादव उर्फ मोनू पुत्र मुसाफर यादव सा0 सोनबरसा बेलौली थाना दोहरिघाट जनपद मऊ, 2. विशाल सोनकर पुत्र विनोद सोनकर सा0महुआबारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया था। वांछित अभियुक्त गोलू मौर्या निवासी रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ की गिरफ्तारी शेष है जिसकी तलाश गठित टीम द्वारा की जा रही है।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अवधेश यादव पुत्र रामा यादव सा 0सोनबरसा बेलौली बडकी बारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 28

वांछित अभियुक्त-

1. गोलू मौर्या निवासी रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दरौधा माधवपुर समय करीब 11.45 बजे पूर्वान्ह

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद नाजायज तमंचा 315बोर
2. एक अदद मिस जिन्दा कारतूस
3. चेन स्नेचिंग में प्रयुक्त एक अदद चोरी की मोटर साईकिल नम्बर UP53EL5496

आपराधिक इतिहास-

1. मु251 0सं0अ0/303 धारा 26(2)बीएस थाना गोला जनपद गोरखपुर.एन.
2. **मु0अ0सं0 0231/2026** धारा 309(4)/317(2)/3(5)बी.एन.एस थाना मधुबन, मऊ
3. मु0अ0सं0 234/26 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन, मऊ

अवैध तमंचो की बिक्री मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद प्रतिबन्धित रिवाल्वर 9MM बोर बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध /अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पिपरीडीह बाजार में एक व्यक्ति जो चिकन की दुकान चलाता है उसके पास अवैध तमंचा है सूचना पर दिनांक 04.07.2026 को पिपरीडीर बाजार मे अभियुक्त मैनुद्दीन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद यासिन निवासी ग्राम खरगजेपुर पिपरीडीह बाजार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 36 वर्ष के चिकन/मीट की दुकान पर दबिश देकर समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मैनुद्दीन सिद्दीकी के निंशा देही से उसी की दुकान के अन्दर ही कटरैन/टीन सेड के अन्दर लगी तिरपाल में छिपा कर एक झोले में रखा हुआ अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक सड़ी हुई तिरपाल में रखा गया रिवाल्वर 9MM जो करकट व लोहे की पाइप के बीच में छिपा कर खोसा हुआ था बरामद हुआ।

कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मुझे चिकन बेचने से काफी कम पैसा मिलता है जिससे घर परिवार चला पाना काफी मुश्किल हो गया है जिस कारण तमंचा व रिवाल्वर आदि को ग्राहको को ऊंचे दाम पर बेचकर जीविकोपार्जन करता हूँ। लोगो को शक भी नहीं हो पाता है परन्तु आप लोगों ने आज पकड़ लिया। । बरामदगी व गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 के तहत पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1. मैनुद्दीन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद यासिन निवासी ग्राम खरगजेपुर पिपरीडीह बाजार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. ये एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद प्रतिबन्धित रिवाल्वर 9MM बोर

प्रेस नोट

05/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2026 को वारंटी अभियुक्तगण 1. कैलाश उर्फ लोहा पुत्र गणेश हरिजन निवासी खत्रीपार 2. जसवन्त सिंह पुत्र भोला निवासी सोहड़ थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया
2. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2026 वारंटी अभियुक्तगण 1. मारकण्डेय पुत्र स्व0 छब्बी निवासी पुराना कोपागंज जनपद मऊ 2. राजू बर्मा पुत्र रामचन्द्र बर्मा निवासी हूंसापुरा थाना कोपागज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
3. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुजीत कुमार पुत्र बालकिशुन निवासी शमसाबाद थाना रानीपुर 2. मोनू सोनकर पुत्र हरि सोनकर निवासी धरमशीपुर थाना रानीपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
4. थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण बिरजू 2. बिनोद पुत्रगण नेबूलाल निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
5. थान कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2026 को वारंटी अभियुक्तगण नजमुल हसन पुत्र फैजुल हसन 2. शहबाज पुत्र नजमुल हुसन निवासीगण कादीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ,

3. इसराफिल पुत्र समीउल्ला निवासी छोटी रहजनिया थाना कोतवालीनगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालना मा0 न्यायालय किया गया।

पाक्सो एक्ट में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध /अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 07.05.2026 को मु0अ0स0 215/26 धारा 87. 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रोशन पुत्र जितेन्द्र निवासी तुलसीपुर कुडवा को मुखबिर की सूचना पर सुरहूपुर कुड़वा मार्ग से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. रोशन पुत्र जितेन्द्र निवासी तुलसीपुर कुडवा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु215 0स0अ0/87 धारा 26. 137(2) बीएनएस

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 05.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 515 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 07 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी जिसके प्रयास से 08 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 69 मामलों में से 21 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 05.07.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 69 मामले आये जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 21 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 08 दंपति निशा/रामाशीष, प्रेमलता/यशवंत, शीला/मंजय, मीनू/वीपिन, शान्ति/सोनू, अविनाश/मुस्कान, मंगीता/संतोष, संजय /शशिप्रभा हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 11 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 01 पर एफ आइ आर, शेष अन्य मामलों के निस्तारण हेतु समिति की बैठक की अगली तारीख 12.057.2026 दी गयी है। परिवार परामर्श समिति की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद अख्तर, मौलवी अरशद रहे। साथ में एसआई मधु शर्मा, इन्द्रभूषण पांडेय, समरजीत यादव, महिला आरक्षी पूनम पाल, राजलक्ष्मी उपस्थित रहे।